फैक्स / क्यूमेल / आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्याः18–एएसआई(लिपिक)271–2025(स्थानापन्न) दिनांकःलखनऊःजून११ ,2026

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015(समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति वोर्ड लखनऊ के पत्र संख्याः पीआरपीबी–चार–10(44)/2025 दिनॉकः 16.09.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति में निम्नलिखित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) को शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–5 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रोन्नति समिति की बैठक में मुहर बन्द लिफाफे में रखी गयी संस्तुतियों के अनुरूप प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक उनके लिये सुरक्षित पदों के सापेक्ष "काम चलाऊ प्रबन्धन" के रूप में तैनाती के सीमित उद्देश्य से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर चयन समिति द्वारा स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु उपयुक्त कर्मियों को चयनित किये जाने एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर अस्थाई रूप से स्थानापन्न पदोन्नति अग्रिम आदेश तक के लिये प्रदान की जाती है। यह काम चलाऊ प्रबन्धन आगामी चयन अथवा मुहर बन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिये ही होगा। उक्त स्थानापन्न पदोन्नति आदेश **दिनांक 30.06.2026** से प्रभावी होगा तथा शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। स्थानापन्न पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मियों का विवरण निम्नवत् हैः–

क0 सं0	पात्रता कमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	215	042420037	विनीत कुमार त्रिपाठी	स्व0 कुंज बिहारी त्रिपाठी	05-12-1981	37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर	स्थानापन्न 2025
2	217	042850029	संजीव कुमार श्रीवास्तव	बृज किशोर श्रीवास्तव	08-09-1982	उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड	स्थानापन्न 2025
3	218	042270023	नीशम अहमद	स्व0 शमीम अहमद	27-11-1982	अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ	स्थानापन्न 2025
4	220	042380001	भुवनेश कुमार राय	स्व0 रमेश चन्द्र राय	01-02-1983	देवरिया	स्थानापन्न 2025
5	221	042460187	सन्दीप कुमार मिश्र	स्व0 शिव शंकर मिश्र	01-06-1983	यूपी–112 मुख्यालय लखनऊ	स्थानापन्न 2025
6	222	042120184	कु0 नीलम मिश्रा	राम भरोसे लाल मिश्रा	01-01-1984	24वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद	स्थानापन्न 2025
7	223	042620020	उपेन्द्र कुमार सिंह	स्व0 अक्षैबर सिंह	01-01-1984	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक	स्थानापन्न 2025
8	225	042310017	शैलजा सिंह	बृजेश सिंह	02-01-1970	30वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा	स्थानापन्न 2025
9	229	042020022	राजकुमार	स्व0 ओमप्रकाश	06-01-1979	जीआरपी आगरा	स्थानापन्न 2025
10	232	042530015	गौरव कुमार	भूदेव सिंह	01-01-1984	बरेली	स्थानापन्न 2025
11	235	042150028	विकास शर्मा	शैलेन्द्र कुमार शर्मा	10-07-1984	06वीं वाहिनी पीएसी मेरठ	स्थानापन्न 2025
12	240	042200026	शिववरदानी	स्व0 बैजनाथ	16-12-1973	जीआरपी झांसी	स्थानापन्न 2025
13	242	042620017	शशिबाला यादव	घनश्याम सिंह	08-07-1978	बस्ती	स्थानापन्न 2025

Scanned with OKEN Scanner

2. उक्त पदोन्नति काम चलाऊ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिये ही होगी।

3. मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण की दशा में उपरोक्त स्थानापन्न पदोन्नति पाये कर्मी को पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

4. स्थानापन्न अस्थाई पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89–का–1–1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियों:–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनो परिस्थितियॉं सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–4 में अंकित परिस्थितियॉं विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–4 में अंकित परिस्थितियॉं विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट **http://uppolice.gov. in** में **'Police Units- Police Hqrs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment** पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)

29/6/26

(अखिलेश कुमार चौरसिया)
पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. पुलिस महानिदेशक, पीएसी/रेलवे, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर सचिव प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर/बरेली, जोन।
5. पुलिस महानिरीक्षक, डायल–112 मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, बस्ती/गोरखपुर/बरेली, परिक्षेत्र।
7. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद देवरिया/बरेली/बस्ती।
9. सेनानायक, 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर/24वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद/30वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा/06वीं वाहिनी पीएसी मेरठ।
10. पुलिस अधीक्षक, रेलवे आगरा/झांसी।

Scanned with OKEN Scanner

स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)--पुत्र

------------------निवासी--------------------थाना--------------जनपद----------------

वर्तमान में(जनपद/इकाई)--नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्वित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई------------में कार्यवाही लम्वित है, जिसमें दिनांक:------को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0--------------धारा------------------------थाना--------------

जनपद----------में लम्बित है, जिसमें दिनांक:---------को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी--------------द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में---------------स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांक:–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner